2010:CGHC:8333

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक – 2625 / 2005

याचिकाकर्ता : **जामा मस्जिद (सुन्नी), हलवाई लेन, रायपुर एवं अन्य**

विरुद्ध

उत्तरवादी : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

निर्णय एवं आदेश की उदघोषणा हेतु दिनांक 09 मई, 2011 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:8333

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक – 2625 / 2005

याचिकाकर्ता : **जामा मस्जिद (सुन्नी), हलवाई लेन, रायपुर एवं अन्य**

विरुद्ध

उत्तरवादी : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति : श्री रविश चन्द्र अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित सुश्री फौज़िया मिर्ज़ा, सुश्री फ़राह मिंहाज़ एवं श्री आर.के. पाली, अधिवक्तागण के साथ — याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री किशोर भदूरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सहित श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से।

श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सहित श्री सौरभ दांगी, श्री मालय श्रीवास्तव एवं श्री समीर श्रीवास्तव, अधिवक्तागण — उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक (09.05.2011) को उद्घोषित किया गया I

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता सर्वप्रथम उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को यह निर्देश देने की प्रार्थना करते हैं कि वे उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में, यदि कोई हो, प्रदान की गई पट्टा को

निरस्त करें और/अथवा उसे प्रत्याहृत (revoked) करें। द्वितीयतः; उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे व्यवहार स्टेशन (व्यवहार लाइन्स), रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 736 के संबंध में राजस्व अभिलेखों में सुधार करें, जो प्लॉट क्रमांक 8/1 से 8/4, ब्लॉक क्रमांक 16, कुल क्षेत्रफल 34883 वर्ग फुट के रूप में दर्ज हैं। तृतीयतः; नजूल अधिकारी, रायपुर के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया जाए और अंतिम प्रार्थना, जो दिनांक 6-4-2010 को आदेशित संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यह है कि नजूल अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 80/बी-12/2003-04 में दिनांक 31-7-2004 को पारित आदेश, तथा नजूल अधिकारी, रायपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 80/बी-121/03-04 में दिनांक 15-9-2004 को पारित आदेश, तथा राजस्व प्रकरण क्रमांक 121/2-बी/2004-05 में अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनांक 14-6-2005 को पारित आदेश को अभिखंडित किया जाए।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले के समुचित निर्णय हेतु संक्षेप में प्रस्तुत किए गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि प्रथम याचिकाकर्ता—जामा मस्जिद—रायपुर स्थित लोक न्यास रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास है। उक्त न्यास की अचल संपत्तियाँ हैं, जिनमें याचिका में सूचीबद्ध भूमि भी सम्मिलित है, जिसे रिसाली नाका, ईदगाह-कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 38082 वर्ग फुट है। भारतीय वक्फ अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात्, उक्त संपत्ति को वक्फ बोर्ड, भोपाल के समक्ष वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक 5, मेसर्स रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लि., को उक्त भूमि में से 14880 वर्ग फुट क्षेत्रफल का पट्टा प्रदान किया गया था, जिसे मुंशी मेहरूद्दीन के आवेदन पर प्रत्याहृत (revoked) कर दिया गया तथा वर्ष 1965 में नवीनीकरण से इंकार कर दिया गया। व्यवहार लाइन्स, रायपुर का खसरा क्रमांक 736/89, जिसे रिसाली नाका, ईदगाह-कब्रिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, को ब्लॉक क्रमांक 16 में विभाजित किया गया, जिसमें प्लॉट क्रमांक 8/1 क्षेत्रफल 18353 वर्ग फुट, प्लॉट क्रमांक 8/2 क्षेत्रफल 70 वर्ग फुट, प्लॉट क्रमांक 8/3 क्षेत्रफल 14880 वर्ग फुट तथा प्लॉट क्रमांक 8/4 क्षेत्रफल 810 वर्ग फुट हैं। कुल क्षेत्रफल 34113 वर्ग फुट है।

4. वहाँ पूर्व-विद्यमान कब्रिस्तान है और अनेक कब्रें अभी भी मौजूद हैं। पट्टा प्रदान किए जाने के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 5 कभी भी याचिका- में सूचीबद्ध भूमि के भौतिक कब्जे में नहीं

था। वर्ष 1965 में मुंशी मेहरूद्दीन द्वारा किए गए आवेदन पर, स्थल निरीक्षण में ब्लॉक क्रमांक 16 के प्लॉट क्रमांक 8/3 की, जो उत्तरवादी क्रमांक 5 को पट्टा पर प्रदान की गई थी, आवंटन में विसंगति पाई गई। खसरा क्रमांक 736/89 के सम्पूर्ण क्षेत्र को कब्रिस्तान के रूप में मानने की अनुशंसा की गई। यह जामा मस्जिद, रायपुर के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन एक वक्फ संपत्ति है।

5. उत्तरवादी प्राधिकारियों ने उक्त भूमि का कब्जा उत्तरवादी क्रमांक 5 को सौंप दिया। नजूल अधिकारी ने दिनांक 31-7-2004 (अनुलग्नक–पी/9) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को खसरा क्रमांक 736, ब्लॉक क्रमांक 16, प्लॉट क्रमांक 8/3, क्षेत्रफल 14880 वर्ग फुट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात्, दिनांक 15-9-2004 को नजूल अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष दिया कि चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, रायपुर ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 याचिका में सूचीबद्ध भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व में है; अतः यह निष्कर्ष दिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 याचिका में सूचीबद्ध भूमि का स्वामी है। आगे यह भी निष्कर्ष दिया गया कि वाद्ग्रस्थ भूमि सुन्नी मुस्लिम की संपत्ति नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. चूँकि याचिकाकर्ताओं ने व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन न किए जाने के कारण तदनुसार अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 15-9-2004 को अतिक्रमण हटाने का आदेश (अनुलग्नक–पी/11) पारित किया गया, जो इस याचिका में चुनौती के अधीन है। इसके पश्चात्, अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर ने अपील में, आक्षेपित आदेश दिनांक 14-6-2005 (अनुलग्नक–पी/12) के माध्यम से जामा मस्जिद द्वारा दायर अपील को यह निष्कर्ष देते हुए खारिज कर दिया कि नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं उचित है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री फौजिया मिर्ज़ा, सुश्री फ़राह मिन्हाज़ एवं श्री आर.के. पाली, विद्वान अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्राधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार विहिन हैं। उत्तरवादी क्रमांक 3 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में "संहिता, 1959") की धारा 129 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित नहीं कर सकता था। श्री अग्रवाल ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 कभी भी भूमि के कब्जे में नहीं था, अतः संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती

थी। उत्तरवादी प्राधिकारियों की कार्यवाही राजनीतिक प्रेरणा से की गई है तथा आक्षेपित आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गृह मंत्री के कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पारित किया गया है। उत्तरवादी प्राधिकारियों अतिरिक्त सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक–पी/5 की रिपोर्ट पर विचार करने में विफल रहे हैं।

8. इसके विपरित, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से श्री अजय द्विवेदी, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता के साथ उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह आरोप कि नजूल अधिकारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्री कार्यालय के अनुचित दबाव में कार्य किया है, पूर्णतः निराधार है। मुख्यमंत्री के समक्ष 'जनदर्शन कार्यक्रम' में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बिना किसी निर्देश अथवा आदेश के, उसे मात्र कलेक्टर को संदर्भित कर दिया गया था। गृह मंत्री ने भी नजूल अधिकारी की अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। गृह मंत्री को प्रस्तुत किया गया आवेदन भी बिना किसी टिप्पणी अथवा निर्देश के कलेक्टर को प्रेषित कर दिया गया था और इस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप एवं अनुचित दबाव का आरोप आधारहीन एवं अप्रमाणित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री भादुड़ी ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के अनुरूप है। याचिकाकर्ताओं ने भी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 3-ए/69 (अब्दुल हबीब एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य) दायर किया था, जिसे अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात् पुनर्स्थापन हेतु दायर आवेदन भी खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उक्त निर्णय को उच्चतर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी, अपितु उसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार वर्तमान चरण पर याचिकाकर्ता नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर प्रश्न नहीं उठा सकते। उक्त आदेश न्यायोचित एवं उचित है।

10. उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से श्री सौरभ डांगी, श्री मलय श्रीवास्तव एवं श्री समीर श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने खसरा क्रमांक 736 से संबंधित भूमि के स्वतः की घोषणा हेतु एक व्यवहार वाद दायर किया था। दिनांक 16-11-1976 के आदेश द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश ने संशोधन हेतु दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 1205/1976 (अब्दुल हबीब एवं अन्य बनाम श्री मोहनलाल व्यास एवं अन्य) प्रस्तुत किया

गया, जिसे दिनांक 24-11-1976 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर व्यवहार वाद भी दिनांक 24-2-1982 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया तथा उसके पुनर्स्थापन हेतु दायर आवेदन भी खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम हो गया। श्री श्रीवास्तव ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 ने भी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 38-ए/1982 (मेसर्स रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लि. बनाम अब्दुल हबीब एवं अन्य) दायर किया था, जिसमें दिनांक 9-7-1982 को उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी।

11. श्री श्रीवास्तव ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में सूचीबद्ध भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया। तदनुसार, नजूल अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया और नजूल अधिकारी ने दिनांक 15-9-2004 के आदेश द्वारा, व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए पश्चातवर्ती अतिक्रमण पर विचार करते हुए, अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, जो विधि के अनुरूप था। याचिकाकर्ताओं ने व्यवहार वाद में उत्तरवादी पक्षकार होने के बावजूद, व्यवहार न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा व्यवहार न्यायालय से अंतरिम निषेधाज्ञा में संशोधन या उसे निरस्त कराने का निवेदन किए बिना, वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की है। अतः, इस प्रकरण में कोई सार नहीं है और यह याचिका खारिज की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 कभी भी याचिका में सूचीबद्ध भूमि के भौतिक कब्जे में नहीं था, अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती थी। दिनांक 1-9-2004 (अनुलग्नक–पी/10) को पारित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।

13. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिवचनों (pleadings) एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया।

14. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में पृथक-पृथक तथा भिन्न वाद कारणों (cause of action) से उत्पन्न अनुतोष को एक साथ सम्मिलित कर दिया है। तथापि, सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अनुतोष क्रमांक 7.6 को छोड़कर अन्य सभी अनुतोष को त्याग दिया, अर्थात् नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 31-7-2004 एवं 15-9-2004 को पारित आदेशों तथा नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 15-9-2004 को पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनांक 14-6-2005 को पारित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों से स्पष्ट है। अन्यथा भी, विधि के प्रावधानों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वाद कारण को एक साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। (देखें : इंद्रजीत मरकाम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य[1])।

15. याचिकाकर्ताओं ने घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 3-अ/69 (अनुलग्नक आर/5–28) दायर किया था, जिसमें श्री मोहनलाल व्यास, निदेशक, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी (यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 5) उत्तरवादी क्रमांक 3 थे। कलेक्टर, रायपुर तथा नजूल अधिकारी, रायपुर क्रमशः उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 4 थे। उक्त व्यवहार वाद में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोषो की प्राथना:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(i) यह घोषित किया जाए कि वादग्रस्त संपत्ति—कब्रिस्तान एवं ईदगाह—जो वादपत्र के नक्शे में अक्षर ए, बी, सी, डी द्वारा दर्शाई गई है, वक्फ संपत्ति है तथा उत्तरवादी सरकार को ऐसी वक्फ संपत्ति को पट्टा पर देने का कोई अधिकार नहीं था/नहीं है।

(ii) प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में प्रवेश करने अथवा किसी भी प्रकार से उसका कब्जा लेने से रोका जाए, चाहे वह विविध आपराधिक वाद क्रमांक 97/64 में पारित उपर्युक्त आदेश का निष्पादन करके हो या अन्यथा।

(iii) प्रतिवादियों को आदेशित किया जाए कि वे इस वाद का व्यय वादियों को अदा करें, और"

16. इसके पश्चात्, दिनांक 1-11-1974 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (आर/5-18) के आधार पर व्यवहार वाद में संशोधन हेतु एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें बैजनाथपारा वार्ड, रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 736, क्षेत्रफल 0.89 एकड़, को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त संशोधन हेतु आवेदन दिनांक 16-11-1976 को खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध, जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के

---

1 WP(S) NO. 5087 OF 2009(decided on 7-9-2009)

समक्ष व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 1205/1976 (अनुलग्नक–आर/5-19) प्रस्तुत किया गया। उक्त व्यवहार पुनरीक्षण दिनांक 4-11-1976 को निम्नानुसार निष्कर्ष देते हुए खारिज कर दिया गया :–

> "2. आवेदकों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वक्फ बोर्ड ने अब वादग्रस्त भूमि को दिनांक 15-6-1974 से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है और यह घोषणा दिनांक 1-11-1974 के म.प्र. राजपत्र में विधिवत प्रकाशित की गई है। इसके पश्चात् संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी।
>
> 3. मेरे मत में, वक्फ बोर्ड का निर्णय उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड केवल वाद के निर्णय के अधीन रहते हुए ही अधिकार अर्जित कर सकता है।"

17. तत्पश्चात्, व्यवहार वाद क्रमांक 3-ए/69 को दिनांक 24-2-1982 (अनुलग्नक आर/5-5) को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यवहार वाद के पुनर्स्थापन हेतु एम.जे.सी. क्रमांक 7/2001 (अब्दुल हबीब एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य) प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 13-10-2003 (अनुलग्नक आर/5-6) को खारिज कर दिया गया। यह निर्विवाद है कि व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी–II, रायपुर द्वारा दिनांक 13-10-2003 को पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः, याचिकाकर्ताओं के समस्त दावे, जिनमें भूमि के एक भाग को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाली अधिसूचना के आधार पर किए गए दावे भी सम्मिलित हैं, समाप्त हो गए, क्योंकि इन आदेशो को उच्चतर न्यायालयों के समक्ष कोई चुनौती नहीं की गई है।

18. इसके पश्चात्, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी–II, रायपुर के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 38-ए/82 (अनुलग्नक आर/5-29) दायर किया, जिसमें नजूल भूमि, जो प्लॉट क्रमांक 8/3, ब्लॉक क्रमांक 16, क्षेत्रफल 14880 वर्ग फुट अथवा उसके आसपास, अर्थात् व्यवहार स्टेशन वार्ड, सलेम गर्ल्स इंग्लिश स्कूल के निकट, रायपुर शहर, रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 736 के एक भाग में सम्मिलित है, के संबंध में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई। उक्त व्यवहार वाद में उत्तरवादी क्रमांक 5 ने निम्नलिखित अनुतोषो की प्राथना किया है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(क) यह उद्घोषणा की जाए कि वादी मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी पट्टेदार होने के नाते अपने अधिकार से वादग्रस्त संपत्ति का एकमात्र, पूर्ण एवं विशिष्ट स्वामी है।

(ख) यह उद्घोषणा की जाए कि वादी को वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, एक ओर उसके विद्यमान स्वतः के आधार पर तथा दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145(4) के अंतर्गत अनुविभागयी दंडाधिकारी द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 97/1964 में दिनांक 25-8-1964 को पारित अंतिम आदेशों के अनुसार।

(ग) यह उद्घोषणा की जाए कि प्रतिवादियों का वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग में कभी भी कोई अधिकार, स्वतः या हित किसी भी प्रकार का न तो था और न है।

(घ) प्रतिवादियों, उनके सदस्यों, सेवकों, अभिकर्ताओं अथवा कर्मचारियों को वादग्रस्त संपत्ति पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने अथवा उसे बाधित करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. व्यवहार न्यायाधीश ने (अनुलग्नक–आर/5-7) के आदेश द्वारा, अभिलेखों/प्रतिवेदनों के अवलोकन के उपरांत, दिनांक 9-7-1982 प्रथम दृष्टया उत्तरवादी क्रमांक 5 को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं कब्जाधारी मानते हुए, यथास्थिति (status quo) बनाए रखने हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

"अतः आवेदन आ. आ.1 विचार बाद स्वीकार करके आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं उत्तरवादीगण के विरूद्ध जारी करके प्रचलित की जाती है कि उत्तरवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 737 ब्लॉक नं. 16 प्लाट नं. 8/3 रकबा 14880 वर्ग फीट स्थित व्यवहार स्टेशन वार्ड, रायपुर की यथास्थिति बनाये रखें। इस वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बलात कब्जा नहीं करेंगे और न हीं वे अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों से हस्तक्षेप या बलात, कब्जा वादग्रस्त भूमि पर करवायेंगें ।"

20. तत्पश्चात्, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा दायर उक्त व्यवहार वाद अभी भी विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं द्वारा न तो उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु और न ही उसमें संशोधन कराने हेतु व्यवहार न्यायालय के समक्ष कोई कदम उठाया गया है। वाद्ग्रस्थ विषय पर सक्षम व्यवहार न्यायालय वर्तमान में अधिकाराधीन (in seisin) है।

21. उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, व्यवहार न्यायालय द्वारा याचिका में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया। परिणामस्वरूप, उत्तरवादी क्रमांक 5 को व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु कलेक्टर के समक्ष दिनांक 7-1-2004 (अनुलग्नक–आर/5-25) को एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विवश होना पड़ा। उक्त आवेदन की एक प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. नजूल अधिकारी ने अनुलग्नक–आर/5-26 (i) के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने याचिका में सूचीबद्ध भूमि पर अतिक्रमण किया है और इस प्रकार यह कारण बताएं कि उक्त अतिक्रमण क्यों न हटाया जाए। अनुलग्नक–आर/5-26 (ii) के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई, जिसमें यह घोषित किया गया कि दिनांक 25-8-2004 को याचिका में सूचीबद्ध भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। दिनांक 25-8-2004 को कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें सभी संबंधित पक्षकार उपस्थित थे। दिनांक 31-7-2004 (अनुलग्नक–पी/9) को नजूल अधिकारी ने आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को 15 दिवस की अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने की सूचना दी, अन्यथा अतिक्रमण हटाने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

23. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि दिनांक 31-7-2004 का आदेश मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री के कहने पर पारित किया गया था। मैंने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र का अवलोकन किया है, जिसमें प्रकरण को बिना किसी टिप्पणी अथवा किसी विशेष प्रकार से विचार करने के निर्देश के, मात्र कलेक्टर को संदर्भित किया गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पारित करने से पूर्व नजूल अधिकारी पर कोई अनुचित प्रभाव अथवा दबाव था। यद्यपि गृह मंत्री का कोई निर्देश/पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि नजूल अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि गृह

मंत्री ने उत्तरवादी क्रमांक 5 के आवेदन पर विधि के अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 30-7-2004 का आदेश इस आधार पर दूषित है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों का मात्र उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह नहीं पाया गया कि कोई आदेश उपर्युक्त पत्रों के आधार पर पारित किया गया था। उस दिन यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं को 15 दिवस की अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने की सूचना दी जाए।

24. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया, अतः दिनांक 15-9-2004 को अंतिम आदेश पारित किया गया। दिनांक 15-9-2004 के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार याचिका में सूचीबद्ध भूमि उत्तरवादी क्रमांक 5 के स्वामित्व एवं कब्जे में थी। यह भी अवलोकित किया गया कि सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ताओं ने वाद्ग्रस्थ भूमि पर अतिक्रमण किया था। परिणामस्वरूप, दिनांक 15-9-2004 को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया। इसके विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील भी नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए दिनांक 14-6-2005 को खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाना कि नजूल अधिकारी संहिता, 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आदेश पारित नहीं कर सकता था, अनुचित है, क्योंकि सीमांकन (demarcation) हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किए गए हों।

26. दिनांक 31-7-2004 के आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता कि उक्त आदेश किसी अन्य आवेदन पर पारित किया गया था, जो सीमांकन (demarcation) हेतु प्रस्तुत किया गया हो। उक्त आदेश उपर्युक्त वर्णित आवेदन के आधार पर पारित किया गया था, जो स्पष्टतः याचिका में सूचीबद्ध भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 16-1-2004 के आदेश का संदर्भ, जिसमें याचिका में सूचीबद्ध भूमि के सीमांकन के संबंध में चर्चा है, इस निष्कर्ष हेतु निर्णायक नहीं है कि आक्षेपित आदेश किसी ऐसे आवेदन पर पारित किया गया था, जो सीमांकन के लिए किया गया हो। अतः, तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क असफल होता है।

27. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि उत्तरवादी क्रमांक 5 कभी भी याचिका में सूचीबद्ध भूमि के भौतिक कब्जे में नहीं था और इस कारण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती थी, इस याचिका में निर्णीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित विवाद उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा दायर व्यवहार वाद क्रमांक 38-अ/82 में व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वारा दिनांक 9-7-1982 को पारित अंतरिम आदेश, जिसे बाद में न तो संशोधित किया गया है और न ही निरस्त किया गया है, अभी भी प्रभावी है। अतिरिक्त सहायक आयुक्त के प्रतिवेदन (अनुलग्नक–पी/5) का भी इस स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपर्युक्तानुसार याचिका में सूचीबद्ध भूमि के संबंध में विवाद व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वक्फ संपत्ति के संबंध में अधिसूचना को व्यवहार वाद क्रमांक 3-अ/69 में संशोधन आवेदन के माध्यम से सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और उसके विरुद्ध प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण भी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि समस्त विवाद व्यवहार वाद के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। तत्पश्चात्, उक्त व्यवहार वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया तथा पुनर्स्थापन हेतु दायर आवेदन भी खारिज कर दिया गया, जो उच्चतर न्यायालयों में चुनौती न दिए जाने के कारण अंतिम हो गया। अतः, इस प्रकरण में कोई सार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित यथास्थिति (status quo) के आदेश के अनुरूप था। अतः, इसे दूषित नहीं माना जा सकता। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत थी, तो वे सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 9-7-1982 को उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश, जो अभी भी प्रभावी है, के संशोधन/निरस्तीकरण हेतु व्यवहार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते थे।

29. इस न्यायालय ने दिनांक 24-6-2005 को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर विचार करते हुए बेदखली/ध्वस्तीकरण पर स्थगन (stay) प्रदान किया तथा अगली सुनवाई की तिथि तक यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया। तत्पश्चात्, दिनांक 8-9-2006 को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत, दिनांक 24-6-2005 के अंतरिम आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया :–

*"श्री कनक तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो आवेदक–उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से उपस्थित हैं, ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण वर्ष 1982 से आज तक वह वाद में सूचीबद्ध संपत्ति के कब्जे एवं उपभोग में हैं और इस तथ्य का न्यायालय के समक्ष प्रकटीकरण किए बिना, विरोधी पक्षकार ने दिनांक 24-06-2005 को इस न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है तथा इस निर्विवाद तथ्य के दृष्टिगत, अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके विपरित, विपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया।

वस्तुतः, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2005 के अंतरिम आदेश के माध्यम से पक्षकारों को उसी तिथि को विद्यमान यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दिनांक 24.06.2005 को उत्तरवादी–आवेदक क्रमांक 5 को उसके पक्ष में पारित अंतरिम आदेश का लाभ प्राप्त था, तो इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश ऐसे अंतरिम आदेश के प्रभाव एवं परिणाम को परिवर्तित नहीं करेगा। इन टिप्पणियों के साथ यह एम. (डब्ल्यू)पी. क्रमांक 2965/2006 निराकृत की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अतः, व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश प्रभावी बना हुआ है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24-6-2005 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते समय उक्त अंतरिम आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया।

31. तथापि, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि यह मामला लगभग तीन दशकों से व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, व्यवहार न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार एवं अपने स्वतः गुण-दोष (on its own merits) के आधार पर यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, उक्त प्रकरण का विचार कर उसका निर्णय करे।

32. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि रिट न्यायालय संपत्ति संबंधी विवादों अथवा स्वतः (title) से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु उपयुक्त मंच नहीं है। (देखें : मोहम्मद हनीफ

बनाम असम राज्य[2], मेसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला बनाम श्रीमती कल्याणी बनर्जी[3] एवं अन्य तथा शालिनी श्याम शेट्टी एवं अन्य बनाम राजेन्द्र शंकर पाटिल[4])।

33. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका गुणहीन (merit से रहित) होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

34. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ankita Jangde, Advocate

---

2 (1969) 2 SCC 782

3 (1973) 1 SCC 273

4 (2010) 8 SCC 329